न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 38 / 2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बुद्धिप्रकाश पुत्र नरसिंहदास जाति वैष्णव निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राज0		1. डुंगरसिंह पुत्र लालसिंह जाति पुरोहित निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राज0 2. हरिसिंह पुत्र लालसिंह जाति पुरोहित निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राज0 3. भवरकंवर पुत्री किशोरसिह जाति पुरोहित निवासी साण्डिया तह0 सोजत जिला पाली राज0 (डिलीट) 4. नारायणसिंह पुत्र गुमानसिह जाति पुरोहित निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राज0 5. शैतानसिह पुत्र गुमानसिह जाति पुरोहित निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राज0 6. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तह0 सोजत जिला पाली राज0 7. भंवरसिंह पुत्र स्व0 किशोरसिह जाति पुरोहित निवासी साण्डिया तह0 सोजत जिला पाली राज0

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री धर्मीचन्द देवासी, श्री मुकेश भाटी अधिवक्तागण वादीगण उपस्थित।
2. श्री मोहित सांखला अधिवक्ता प्रतिवादी उप0

—: निर्णय :— दिनांक — 13/02/2025

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा साण्डिया तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1404, 1405 कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.4800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 1396 कुल खसरा 01 कुल रकबा 1.9200 हैक्टर, बा0अ0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। दिनांक 22.08.2024 को उभय पक्षों द्वारा उपस्थित होकर जरिये राजीनामा वादस्थ भूमि का बंटवाडा माफिक प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार किए जाने में सहमति व्यक्त करते हुए राजीनामा पेश किया एवं प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने का निवेदन किया । जिस पर दिनांक 22.08.2024 को प्रकरण में वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/राजस्व/1460 दिनांक 25.09.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 24.09.2024 अनुसार वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 24.09.2024 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा साण्डिया तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1404, 1405 कुल खसरा 02 कुल रकवा 3.4800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 1396 कुल खसरा 01 कुल रकवा 1.9200 हैक्टर, बा0अ0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकवा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम साण्डिया में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	बुद्धि प्रकाश पुत्र नरसिंहदास कौम वैष्णव सा0 चण्डावल खातेदार	1404/3	0.8117	बा0अ0	4.87
		01	0.8117	ब0अ0	4.87
2.	नारायणसिंह 1/2, शैतानसिंह 1/2 पिता गुमानसिह कौ राजपुरोहित सा0 साण्डिया खातेदार	1396/1	0.5300	बा.अ.	3.18
		01	0.5300		3.18
3	भंवरसिंह पुत्र किशोरसिह कौम राजपुरोहित सा0 सांडिया खातेदार	1404	0.8117	बा0अ0	4.87
		1	0.8117		4.87
4	हरिसिंह पुत्र लालसिंह कौम राजपुरोहित सा0 साण्डिया खातैदार	1404/2 1405	0.2533 1.3700	ब0अ0	1.52 8.22
		02	1.6233		9.74
5	डुंगरसिह पुत्र लालसिंह कौम राजपुरोहित सा0 देह खातेदार	1396 1404/1	1.3900 0.2333	बा0अ0	8.34 1.40
		02	1.6233		9.74

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेघाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिव हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेखा भण्डार जमा हो

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 13/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

डिकी बमुकद्दमें इत्तदाई

(ऑ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

वादीगण

1. बुद्धिप्रकाश पुत्र नरसिंहदास जाति वैष्णव निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राज0

बनाम

प्रतिवादीगण

1. डुंगरसिंह पुत्र लालसिंह जाति पुरोहित निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राज0
2. हरिसिंह पुत्र लालसिंह जाति पुरोहित निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राज0
3. भवरकंवर पुत्री किशोरसिह जाति पुरोहित निवासी साण्डिया तह0 सोजत जिला पाली राज0 (डिलीट)
4. नारायणसिंह पुत्र गुमानसिह जाति पुरोहित निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राज0
5. शैतानसिह पुत्र गुमानसिह जाति पुरोहित निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राज0
6. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तह0 सोजत जिला पाली राज0
7. भंवरसिंह पुत्र स्व0 किशोरसिह जाति पुरोहित निवासी साण्डिया तह0 सोजत जिला पाली राज0

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

राजस्व वाद संख्या :– 38/2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री धर्मीचन्द देवासी व श्री मुकेश भाटी अधिवक्ता वादी तथा श्री मोहित सांखला अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि कि सरहद मौजा साण्डिया तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1404, 1405 कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.4800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 1396 कुल खसरा 01 कुल रकबा 1.9200 हैक्टर, बा0अ0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम साण्डिया में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	बुद्धि प्रकाश पुत्र नरसिंहदास कौम वैष्णव सा0 चण्डावल खातेदार	1404/3	0.8117	बा0अ0	4.87
		01	0.8117	बा0अ0	4.87

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

2.	नारायणसिंह 1/2, शैतानसिंह 1/2 पिता गुमानसिंह कौ राजपुरोहित सा0 साण्डिया खातेदार	1396/1	0.5300	बा.अ.	3.18
		01	0.5300		3.18
3	भंवरसिंह पुत्र किशोरसिंह कौम राजपुरोहित सा0 सांडिया खातेदार	1404	0.8117	बा0अ0	4.87
		1	0.8117		4.87
4	हरिसिंह पुत्र लालसिंह कौम राजपुरोहित सा0 साण्डिया खातैदार	1404/2 1405	0.2533 1.3700	ब0अ0	1.52 8.22
		02	1.6233		9.74
5	डुंगरसिह पुत्र लालसिंह कौम राजपुरोहित सा0 देह खातेदार	1396 1404/1	1.3900 0.2333	बा0अ0	8.34 1.40
		02	1.6233		9.74

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13/02/2025 को जारी की गई।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)